न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विकासनगर, देहरादून।

पीठासीनः नंदन सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 166/2026

C.N.R. No. UKDD09-000646-2026

सलमान पुत्र इकराम, निवासी ग्राम खुशहालपुर, सहसपुर थाना सहसपुर, जिला देहरादून।

प्रति

राज्य

मुकदमा अपराध संख्या– 105 वर्ष 2026
अंतर्गत धारा– 3/11 उ0 गो0 संरक्षण अधिनियम
थाना– सेलाकुई, जिला– देहरादून।

अभियुक्त की ओर से – श्री मनोज कुमार शर्मा, एडवोकेट।

अभियोजन की ओर से– श्री नरेश चन्द्र बहुगुणा,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी

दिनांकः 12.08.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा थाना सहसपुर, जिला देहरादून के मु0अ0सं0 105 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 3/11 उ0 गो0 संरक्षण अधिनियम में अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दिया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त को उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है, तथा प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का नाम अंकित किया गया है। जब थाना सहसपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 184/2026 में प्रार्थी/अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार व्यक्ति के बयानों के आधार पर संलिप्ता दिखाकर अभियुक्त बनाया गया है तथा पुलिस द्वारा अभियुक्त से जांच में पूछताछ में यह बताया गया कि सेलाकुई व माजरी में भी गोकसी की घटना को अन्य साथियों के साथ मिलकर कारित किया गया है। अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय या पुलिस द्वारा लगायी गयी, किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिये तैयार व इच्छुक है। यह कि प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर रिहा करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का है, ऐसी अवस्था में उसे जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित नहीं है और अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाए।

5. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रस्तुत अंग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया व संलग्न प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभी तक न्यायालय के समक्ष जो तथ्य प्रार्थी द्वारा रखे गये है वह शपथपत्र से समर्थित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 173 बी.एन.एस. में प्रस्तुत की है उसमें इस तथ्य का उल्लेख है, जो प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किये गये है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त को सह अभियुक्त के कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 105/2026 अंतर्गत धारा– 3/11 उ0 गो0 संरक्षण अधिनियम में आरोपित किया गया है तथा अभियुक्त का नाम अन्य अभियुक्तगण के साथ प्रकाश में आना कथित किया गया है। मौके से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही कोई ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य दर्शित किया है कि अभियुक्त की कथित अपराध कारित करने में कोई संलिप्पता रही हो। सह अभियुक्त की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रदान की जा चुकी है।

8. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, तथा अभिलेख पर प्राप्त सामग्री तथा उनमें कथित तथ्यों के आधारों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के हित में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त कारणों से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सलमान द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. अभियुक्त मु0 30,000/– (तीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय प्रतिभू न्यायालय पेश करेगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

3. अभियुक्त किसी साक्ष्य से छेडछाड नहीं करेगा तथा किसी गवाह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

4. यह कि आवेदक, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

5. यह कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगा।

6. यदि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करता है तो अभियोजन पक्ष अंतरिम जमानत निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. इस आदेश की एक प्रति सम्बंधित थाना पुलिस को प्रेषित की जाये।

(नंदन सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विकासनगर, देहरादून।